न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 157 / 2021

सरकार बनाम् सुन्दरलाल, कमल, विक्रम पुत्रान लिछमणराम, जाति–मेघवाल, निवासी–स्यालु खुर्द

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 01.11.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान सुन्दरलाल, कमल, विक्रम पुत्रान लिछमणराम, जाति–मेघवाल, निवासी–स्यालु खुर्द द्वारा रोही मौजा स्यालु खुर्द की राजकीय भूमि ख.नं. 81 कुल रकबा 0.12 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है0 भूमि पर पक्का मकान व चबुतरा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान की ओर से एडवोकेट रामेश्वर दयाल ने वकालतनामा पेश किया तथा साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु अवसर चाहा, जो दिया गया। लेकिन आगामी दो पेशियों पर ना ही गैर सायलान स्वयं उपस्थित हुए और ना ही उनका एडवोकेट उपस्थित हुआ। जवाब एवं साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी गैर सायलान एवं उनका अभिभाषक अनुपस्थित रहे। बार–बार आवाज लगवाई जाने पर भी उपस्थित नही हुए। अतः गैर सायलान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० लें० सं० 4 के पृष्ठ सं. 33 पर वर्ष 2021-22 में रुपये 9/— कायम किए

राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़